Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

Case No.-15/2025

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA).

[Land Dispute Apeal Case No.- 15 /2025]

Shivan Sharma & Other ....Appellant

Versus

Kusho Sharma Urf Kusho Chaupal.....................................Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	18.8.2025	(see below)	

18.8.2025

यह भूमि विवाद अपील न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर सहरसा के भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या-55/2023-24 में दिनांक-24.8.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है।

प्रश्नगत जमीन की विवरणी निम्नानुसार है :-

अंचल	मौजा	थाना	खाता (पुराना/नया)	खेसरा (पुराना/नया)	रकवा
सत्तरकटैया	पदमपुर	172	172	830/1391	2.51 डी0

दिनांक-08.8.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र तथा Written Argument में अंकित है। विपक्षी का अभिकथन Reply/Rejoinder में अंकित है।

अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन उनके पिता एवं भाईयों द्वारा केवाला के माध्यम से खरीदगी के उपरांत जमाबंदी सं0-52 एवं 53 कायम है। विपक्षी को अंचलाधिकारी द्वारा अवैध तरीके से बासगीत पर्चा निर्गत किया गया। उनका कहना है कि बासगीत पर्चा रैयतों को उनके कब्जानुसार प्राप्त जमीन पर सरकार द्वारा निर्गत किया जाता है। किन्तु विपक्षी को प्रश्नगत जमीन पर बिना दखल कब्जा के बासगीत पर्चा निर्गत किया गया है।

जबकि विपक्षीगण का कहना है कि मौजा-पदमपुर, खाता-172, खेसरा-830/1391 में उनके नाम से 2.51 डी0, भाई विशो शर्मा के नाम से 3.27 डी0 तथा पिता-तेतर तांती के नाम से 5 डी0 कुल-10.78 डी0 जमीन बासगीत पर्चा से प्राप्त है जिसका क्रमशः जमाबंदी सं0-36, 41 और 6 कायम है। उनका कहना है कि उनके उत्तर चौहद्दी वाला अपीलार्थी नथुनी शर्मा द्वारा 0.5 डी0 तथा दक्षिणी चौहद्दी वाला अपीलार्थी शिवन शर्मा सहित भाईयों द्वारा 1.55 डी0 भूमि पर विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। उनके द्वारा निम्न न्यायालय आदेश को विधिसम्मत बताते हुए प्रश्नगत खेसरा के जमीन को विवाद मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि विपक्षीगण को प्रश्नगत जमीन वासगीत पर्चा से प्राप्त है तथा जमाबंदी कायम है। विपक्षी कुशो शर्मा उर्फ कुशो चौपाल Privileged Tenant के वैध उत्तराधिकारी हैं। सुनवाई में अपीलार्थी की ओर से विपक्षी को वासगीत पर्चा प्राप्त रहने संबंधी तथ्य को Negate करने के संबंध में कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है।

निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संबंध में संगत तथ्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Finding के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। अतः तदनुसार इस अपील वाद को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

Priya K.
18/8/2025.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

लेखापित एवं शुद्धित।

Priya K.
18/8/2025.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।